राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव आर. ए. एस)

मुकदमा नं. :– 825/2024

निर्णय दिनांक : 10.02.2025

1. राजेन्द्र पुत्र मालीराम जाति ब्राम्हण निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

वादी

बनाम

1. भवानी शंकर पुत्र मालीराम जाति ब्राम्हण निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौडजी।

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से वाद नीचे लिखे अनुसार है:–

यह कि वाके ग्राम गुढागौडजी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 835 रकबा 0.01 है0 तथा खसरा नम्बर 836 रकबा 2.23 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.24 है0 भूमि अवस्थित है जिसे आगे विभाजन योग्य भूमि कहा गया है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मालीराम के फौत होने पर जरिये इंतकाल नम्बर 625 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन शामलाती खाते की भूमि व शामाली चाह होने से झगड़ा करता है व काश्त में अवरोध करता रहता है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन करने हेतु वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 20.05.2005 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/564 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुढागौडजी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 835 रकबा 0.01 है0 तथा खसरा नम्बर 836

सहायक कलक्टर झुंझुनूं

रकबा 2.23 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.24 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/564 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

10/2/25

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुंझुनू